प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 04.09.2023

दुकान मे घुस कर चोरी का अपराध कारित करने के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के एक लाख ग्यारह हजार रुपये व घटना मे प्रयुक्त मोटरसाईकल व हेलमेट बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा चोरी के अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ गोरखपुर के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक शाहपुर के नेतृत्व में व0उ0नि0 थाना शाहपुर मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 634/23 धारा 380 भादवि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सोनू कुमार पुत्र रामायन राम निवासी शिवपुर सहबाजगंज थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर चोरी के एक लाख ग्यारह हजार रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल व 01 अदद हेलमेट के साथ गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवी की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध करने का तरीका- अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वादी मुकदमा की दुकान में व अन्य जगहो पर स्वीपर का कार्य करता है। अभियुक्त अपने नशे व अन्य खर्चों के लिए कई व्यक्तियों से उधार पैसे लिए हुए था उधार न वापस कर पाने तथा उधार देने वालों के दबाव के कारण योजना के तहत अभियुक्त वादी मुकदमा की दुकान में काम करता था और पूरी दुकान तथा पैसे रखने की दराज व सीसीटीवी कैमरो के बारे में पूरी जानकारी रखता था, कुछ दिन रेकी करने के पश्चात सोनू कुमार उपरोक्त दिनांक 28.08.2023 को रोज की तरह सिटी मार्ट (वादी की दुकान) आया और साफ सफाई का कार्य करने के बाद समय करीब 16.30 बजे वापस चला गया। पुनः उसी दिन समय करीब 18.30 बजे सफेद शर्ट पहन कर तथा चेहरे को मास्क व हेलमेट से छुपाकर वादी की दुकान से करीब 500 मीटर दूर दुकान के करीब पहुचकर इंतजार करने लगा, दुकान के गार्ड को अन्दर जाता देखकर मौका पाकर समय करीब 19.00 बजे वादी की मार्ट में प्रवेश कर गया दुकान में मौजूद भीड़ भाड़ का फायदा उठाते हुए अभियुक्त मुह छुपाये हुए मार्ट के अन्दर एक कमरे में, जिसमे खाली गत्ते भरे हुए थे, घुसकर छिपकर बैठ गया। करीब 03 घण्टा 30 मिनट इंतजार करने के बाद जब सोनू कुमार को यकीन हो गया की मार्ट बन्द हो चुका है तो सोनू कुमार समय करीब 22.30 बजे गत्ते वाले कमरे से बाहर निकला और दुकान में लगे लाइट की एमसीबी गिरा दी जिससे पूरी दुकान की लाइट व सीसीटीवी कैंमरे बन्द हो गये । फिर सोनू कुमार द्वारा सीटी मार्ट के आफिस में जहाँ पर पैसे रखे जाते है, पहुचाँ और पैसे रखने वाले दराज को खोलकर दराज मे रखे करीब 150000 रुपये निकाल लिए तथा चोरी करने के पश्चात पैसे एक झोले में लेकर दुकान मे ही रखी पिछले गेट की चाभी से पिछला गेट खोलकर दुकान से बाहर आ गया, और हेलमेट व मास्क से मुह छिपाये हुए अपनी मोटर साइकिल लेकर चला गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

सोनू कुमार पुत्र रामायन राम निवासी शिवपुर सहबाजगंज थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 634/23 धारा 380, बढोत्तरी धारा 411 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

1. एक लाख ग्यारह हजार रुपये नगद
2. 01 अदद मोटर साइकिल (घटना में प्रयुक्त वाहन)
3. 01 अदद हेलमेट के

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का नाम -

1. उ0नि0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह चौकी प्रभारी बशारतपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 विनय सिंह चौकी प्रभारी जेल रोड थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
3. का0 धनंन्जय कुमार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर